महिला कल्याण में विधानों एवं योजनाओं की भूमिका

अतुल कुमार यादव
शोधछात्र–समाजशास्त्र
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जौनपुर (उ0प्र0)

सारांश– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम की शुरूआत। छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना– इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं/लड़कियों को उच्च शिक्षा मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेकनिक तथा आई०टी०आई०, एम0बी0ए0 अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। ऐसी प्रतिभाशाली छात्राएँ जो शिक्षा व्यवसाय के क्षेत्र में योग्यता रखती है और शैक्षणिक रिकार्ड बेहतर है उनकी सहायता हेतु व्यवसायिक क्षेत्र में दिया जाने वाले यह छात्रवृत्ति इनके लिए वरदान साबित होता है और ऐसे माता–पिता के ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़ता है जिन्होंने लड़कियों को हाशिए पर रख दिया है।

मुख्य शब्द– महिलाए, समाज, योजना, सभ्यता, संस्कृति, सरकार, कार्यक्रम।

कहावत है जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। इस वाक्य का चरितार्थ मध्यकाल में महिलाओं के सामने पूर्णतः सिद्ध होता है। बाह्य आक्रमणकारियों, चाहे वह मुहम्मद बिन कासिम हो या चाहे वह मुहम्मद गौरी, सल्तनत काल हो या मुगल काल सभी काल खण्डों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते रहें। महिलाओं का कोई सहारा नही बना यह समय हिन्दी साहित्य में भक्तिकाल के नाम से जाना गया। जहां पर मीराबाई, तुलसी, रसखान, कबीर इत्यादि समाज सुधारकों ने प्रभु की शरण और भक्ति में अपना विश्वास जताया। यह वह समय था जब महिलाएं समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़ी थी। इनकी अवस्था चाहे शिशु की हो या बालिका की, युवा महिलाओं की हो या घर के अन्दर हो या घर के बाहर सभी जगह इनका शोषण चरमोउत्कर्ष पर था दासता पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थी। भारत में उपनिवेशवाद की शुरूआत में इनकी दशाओं पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। परन्तु 18वीं और 19वीं सदीं इनके जीवन में प्रकाश की किरण लेकर आयी। कुछ ऐसे समाज सुधारक और मानवशास्त्री हुए जो इनके दशा को सुधारने का प्रयास

किया राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानन्द और कुछ ऐसे अंग्रेज विद्वान थे जो महिलाओं के प्रति विशेष सहानभूति के कारण अनेक विधानों और प्रतिबन्धों को अवैध घोषित कर दिया। यद्यपि स्वतंन्त्रता में महिलाओं की भागेदारी बढ़–चढ़ कर रही। परन्तु जो स्थान मिलना चाहिए वह नहीं मिला। परिणामतः देश आजाद हुआ आजादी के बाद भारत सरकार और राज्य सरकारों ने महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा रोजगार इत्यादि क्षेत्रों में ध्यान दिया। तमाम ऐसे पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रम चलाए गये। कुछ ऐसे औपचारिक एवं अनौपचाकि संगठनों ने भी जन्म लिया जो महिलाओं की बातों और महिलाओं के नेतृत्व को बल दिया। पारिवारिक कल्याण योजनाएं महिलाओं के जीवन सुधारने में क्रांतिकारी सिद्ध हुए। इन्हीं सैविधानिक उपबन्धों के कारण आज महिलाओं की भागेदारी संसद से लेकर कार्यालय तक, व्यापार से लेकर शिक्षा तक इनकी उपस्थिति बेहतर और पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है।

राजा राममोहन राय ने पुनर्जागरण काल में नारी अत्याचार व शोषण के विरूद्ध सराहनीय कार्य किये गये। उन रूढ़ियों के विरूद्ध आवाज उठाई गयी, जिन्होंने उन्हें पशुतुल्य जीवन–जीने के लिए बाध्य कर रखा था। विभिन्न काल खण्डों में नारी की स्थिति सोचनीय व दयनीय बनी रही चाहे वह मौर्यकाल हो, राजपूतकाल हो या मुगलकाल। मुगलकाल में नारी की अस्मिता ही न के समान रह गयी थी। अंग्रेजी शासन में पुनर्जागरण के आन्दोलन ने नारी की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। कुछ सीमा तक इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। नव–जागरण के अग्रणी बुद्धिजीवी और समाज सुधारकों में सर्वप्रथम राजा राममोहन राय का नाम आता है। सौम्येन्द्र नाथ टैगौर राजा जी के समय काल और परिस्थिति का उल्लेख करते हुए लिखते है–''आधुनिक भारत के इतिहास को अत्यधिक अंधकारमय युग था, पुराना समाज और राजतंत्र तहस–नहस हो चुका था। उसके अवशेष चारो ओर बिखरे पड़े थे। कोई ताकत नही थी, जो इन विकृतियों को खत्म कर दें। पुरानी बुनियाद पर नयी स्थापना का प्रयत्न भी नही हो रहा था। मरी हुई परम्पराएं जड़ हो चुके रिवाज और मूर्खतापूर्ण कट्टरता देश की जीवन शक्ति सोख चुके थे। निर्मम अंधकार चारों ओर बिखरा पड़ा था। व्यर्थता और शुष्कता के इसी माहौल में राजा राममोहन राय का पदार्पण हुआ।''

भारतीय धर्म और संस्कृति में सती प्रथा कलंक है। एक जीती–जागती स्त्री को पति की चिता के हवाले करके फूक देना कहाँ का सामाजिक व धार्मिक न्याय था। महिला के साथ इतनी क्रूरता और राक्षसी व्यवहार शायद ही किसी देश में पाया जाता हो। धर्म के ठेकेदारों ने सती प्रथा को धार्मिक जामा पहनाकर इसे उचित ठहरा दिया। इस प्रथा के विरूद्ध 1818 में आन्दोंलन छेड़ा गया और 1929 में लार्ड विलियम बैंटिक ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। राजा राममोहन राय जी का नाम सती प्रथा को समाप्त कराने में सदैव याद किया जायेगा।[1]

दयानन्द सरस्वती का नारी सशक्तिकरण : स्त्री शिक्षा – स्वामी दयानन्द सरस्वती इस प्रकार के कार्य कर रहे थे, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नारी चेतना उत्पन्न हो सके। वे स्वयं को और अपने व्यक्तित्व को गढ़ सके और पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति में रगने से अपने को बचा सके। इनमें स्वदेशी भावना उत्पन्न हो सके। इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में किया। वे इस तथ्य से भली–भांति परिचित थे कि नारी–जागृति शिक्षा के अभाव में सम्भव नही है। इस दृष्टि से शिक्षा को परिवार को केन्द्र में रखते है। उनका विचार है कि माता–पिता एवं आचार्य ये तीन प्राणी ऐसे है जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। परिवार बच्चें के व्यक्तित्व को गढ़ता है। उन्होंने शिक्षा को मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया।

स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में स्वामी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल सबसे अधिक दिया। वे स्त्री शिक्षा में किसी भी प्रकार जाति भेद व वर्ण भेद नही मानते थे। सभी जाति व वर्ण की स्त्रियों को शिक्षा देने के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने आन्दोलन भी किया। वे इस बात के विरूद्ध थे कि शुद्र वर्ण की स्त्री को धर्मग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जाय। उन्होंने वेदों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि शुद्रो को वेदाध्ययन करने का अधिकार है। वे कहते है जिसे पढ़ने और पढ़ाने से ज्ञान प्राप्त न हो, निर्बुद्धि एवं मूर्ख बना रहे ऐसे प्राणी को शुद्र कहते है। वेद तो ईश्वरीय कृति है फिर इसे पढ़ने–पढ़ाने में भेद क्यो? अस्तु वेदों का अध्ययन स्त्री व पुरूष दोनों ही कर सकते है। स्वामी जी का स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने का यह क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है।[2]

पारिवारिक कल्याण योजनाएं –

(1) परिवार नियोजन – भारत की जनसंख्या वृद्धि बहुत लम्बे समय से सरकार के लिए एक चिंता का कारण रही है। स्वतन्त्रता के पश्चात् वर्ष 1949 में भारत में पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम का गठन किया गया था। वर्ष 1952 में पूरे देश में अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। शुरू में इसमें जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है और बाद में इसके विभाग, माँ और बाल स्वास्थ्य, पोषण और परिवार, कल्याण के अन्तर्गत आते है। वर्ष 1996 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन का अलग विभाग बनाया था। बाद में सरकार ने परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया था।

भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम (FWP)–यह एक केन्द्रिय प्रायोजिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों के लिए शत–प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए मुख्य रणनीतियाँ है –

i. परिवार कल्याण अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत है।
ii. इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया गया है।
iii. एक परिवार में दो बच्चों के लिए जोर देना।
iv. दो बच्चों के जन्म के बीच में अन्तर बनाने के लिए टर्मिनल (स्थाई) विधि पर जोर देना।
v. परिवार को छोटे परिवार के आदर्शो को स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने के लिए घर–घर जाकर जानकारी प्रदान करना।
vi. लड़कों और लड़कियों दोनो को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना।
vii. विवाह का उचित समय (पुरूषो के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष) रखना।
viii. टेलीविजन, रेडियों, समाचार पत्र, कठपुतली के माध्यम से परिवार नियोजन की व्यापक जागरूकता संचारित करना।

उद्देश्य– परिवार कल्याण कार्यक्रम के नीतिगत लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की एक ऐसी सीमा तक पहुंचना है जो पर्यावरण के साथ–साथ भावी पीढ़ियों के संसाधन आधार को बिना संकटग्रस्त किये ही जीवन की अतिउत्तम गुणवत्ता को स्वीकृति प्रदान करता हो।[3]

(2) जननी सुरक्षा योजना– जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल द्वारा प्रायोजित योजना है। जिसका प्रारम्भ 2005 में किया गया। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रु० की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रसव अस्पताल में अथवा प्रशिक्षित दाई द्वारा किया जाना चाहिए। शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास एम0सी0एच0 कार्ड के साथ–साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है। आशा अथवा कोई अन्य सुनिश्चित सम्पर्क कार्यकर्ता द्वारा ए0एन0एम0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकृत की देखरेख में अनिवार्य रूप से प्रसव की व्यवस्था करना आवश्यक है। इससे गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जाँच और प्रसव के बाद देखभाल और निगरानी करने में सहायता मिलती है।[4]

(3) महिला कल्याण योजना –

(A) निराश्रित विधवा (पेंशन) भरण–पोषण अनुदान– इस योजना के अन्तर्गत ऐसी विधवाओं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक है। तथा जिनकी मासिक आय 1000 रु० से अधिक नहीं है तथा पुत्र, पौत्र 20 वर्ष से अधिक न हो उनके भरण–पोषण तथा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु 800 रु० प्रतिमाह पेंशन अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

(B) सामान्य जाति की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ''गौरा देवी'' कन्या धन योजना– इस योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों की सामान्य जाति की बालिकाओं को शिक्षित किए जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से इस योजना का

संचालन वर्ष 2006–07 से किया गया। बी0पी0एल0 परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में 15,976 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 21,206 रु० वार्षिक आय वाले परिवार की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ''गौरा देवी'' कन्याधन योजना के रूप में प्रदान की जा रही है। इसमें कन्याओं को 50,000 रु० की एन0एस0सी0 प्रदान करने का प्रावधान है।

(C) विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना– इस योजना के तहत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार स्वरूप 11,000 रु० की धनराशि दिये जाने को प्राविधान है। विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856 को आगे बढ़ाते हुए सरकार की इस योजना का उद्देश्य वह युवा विधवाएं है जिनकी आयु अभी भी गृहस्थ जीवन बसाने की है। परन्तु कुरीतियों के कारण समाज में उपेक्षित है। फिर से इन्हे समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास है।

(D) छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना– इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं/लड़कियों को उच्च शिक्षा मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेकनिक तथा आई०टी०आई०, एम0बी0ए0 अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। ऐसी प्रतिभाशाली छात्राएँ जो शिक्षा व्यवसाय के क्षेत्र में योग्यता रखती है और शैक्षणिक रिकार्ड बेहतर है उनकी सहायता हेतु व्यवसायिक क्षेत्र में दिया जाने वाले यह छात्रवृत्ति इनके लिए वरदान साबित होता है और ऐसे माता–पिता के ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़ता है जिन्होंने लड़कियों को हाशिए पर रख दिया है।

(E) दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता– इस योजना के तहत दहेज के कारण उत्पीडित महिलाओं को जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तथा जिनकी मासिक आय 1000 रु० से कम हो वाद निस्तारण होने तक 400 रु० का प्रतिमाह आर्थिक अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।[5] भारतीय समाज में दहेज प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है कभी–कभी दहेज और विवाहिता में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आज भारत में दहेज के कारण महिलाओं के विरूद्ध होने वाले हिंसा (मारना, पीटना, गाली–गलौज, तानाकसी, जलाना, घर से बाहर निकाल देना, भूखे रखना और जान से मार देना) आदि आये दिन देखने को मिलते है। शिक्षित और अशिक्षित सभी समाजों में ऐसे घटनाएं देखने को मिलती है। एक विवाहिता जाये

तो कहाँ जाये। इसके लिए सरकार ने दहेज निरीक्षक अधिनियम 1961 और बाद में इस अधिनियम में संशोधन द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया है।

(4) वन स्टॉप सेंटर स्कीम– वन स्टॉप सेंटर स्कीम का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था, जहाँ हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला सभी तरह की मदद की एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है। इन संदर्भ को अस्पतालों में चलाया जाता है। जहाँ मेडिकल ऐड, लीगल ऐड, अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह, केस फाइल करने के लिए मदद, काउंसलिंग सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। वह स्टॉप सेंटर योजना भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए लागू की थी। ये योजना मूल रूप से 'सखी' के नाम से जानी जाती है। इस योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। इस योजना के जरिए पूरे देश में सिलसिलेवार तरीके से प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगह पर सबको लाकर समर्थन और सहायता देने के लिए कई वन स्टॉप सेंटर बनाए जा रहे है। इस सेंटर में किसी भी तरह की हिंसा झेल रही महिला बलात्कार, लैंगिग हिंसा, घरेलू हिंसा, ट्रेफिकिंग, एसिड अटैक विक्टिम, विच हैटिंग, दहेज सम्बन्धित हिंसा, सती, बाल यौन शोषण, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे मामलों से पीड़ित कोई भी महिला यहा जा सकती है।[6]

(5) वर्किंग वुमन हॉस्टल योजना– 'वर्किंग वुमन हॉस्टल योजना' के द्वारा देश के सभी काम–काजी महिलाओं को सरकार की तरफ से रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जायेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आवास व सुरक्षा दोनों देना है। यह योजना 2020 के अन्तर्गत निर्मित किया गया है। सभी महिलाओं को उनकी जाति या धर्म या सम्बन्ध की स्थिति के बावजूद छात्रावास उपलब्ध कराये गये है। यानि वहां महिलाओं में किसी भी तरह का भेदभाव नही किया जाता है। इस योजना के तहत वो महिलाएं भी छात्रावास में रह सकती है जो रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही है। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधा जनक रूप से स्थित आवासों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। जहां

कही भी संभव हो, शहरी, अर्द्ध शहरी या यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद है।[7]

(6) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम– महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम की शुरूआत 1986–87 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में की गयी है। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास जैसे कम्प्यूटर कोर्स, सिलाई–बुनाई, ब्यूटी पार्लर आदि कोर्स सीखाकर उनको इस लायक बनाना की वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपना भरण–पोषण स्वयं कर सके।[8]

(7) नारी शक्ति पुरस्कार– नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार है। इस योजना की स्थापना 1990 में की गयी। केन्द्र सरकार ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और संस्थानों द्वारा किये गये सेवा कार्य को मान्यता प्राप्त करने हेतु नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार महिलाओं और संस्थानों द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और पीड़ित महिलाओं के लिए जो अच्छा काम करती है या ऐसी महिलाएं जो अपने हालात से बाहर आकर कुछ अलग करती है। उन्हें नगद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।[9]

(8) स्वाधार गृह (घर) योजना– स्वाधार गृह योजना को 2001–02 में शुरू किया गया था। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तस्करी से पीड़ित महिलाओं, विधवाओं, वेश्यावृत्ति से युक्त महिलाओं, रिहा कैदी महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है। जिससे वे अपना जीवन फिर से शुरू करके अपने पैरो पर खड़ी हो सके। इस योजना में विधवा महिलाऐं के लिए कानूनी परामर्श और सभी प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाती है।[10]

(9) महिला शक्ति केन्द्र योजना– पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सबल बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलायी जा रही है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र योजना चलाई जा

रही है। इसके तहत न सिर्फ लड़कियों को शिक्षित किया जाता है, बल्कि उन्हें रोजगार दिलाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की जाती है। ये योजना 2017 में शुरू की गयी थी। इसके तहत दूरदराज के इलाकों में महिला शक्ति केन्द्र खोले गये। इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वयं सेवियों को जोड़ा गया। सरकार का लक्ष्य है कि इसमें 3 लाख से भी ज्यादा स्वयंसेवी छात्रों को शामिल किया जाय। साथ ही एन0सी0सी0 की छात्राओं को भी इस काम से जोड़ा जायेगा। इसके बदले इन्हें सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। महिला शक्ति केन्द्र अलग–अलग स्तर पर काम करेगी। इसके तहत केन्द्रीय स्तर पर नॉलेज सपोर्ट और राज्य स्तर पर महिलाओं को संसाधन सहयोग मुहैया कराया जाता है। इसमें राज्य सरकार, जिले और ब्लॉक स्तर पर भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केन्द्र सरकार भी सहयोग देता है।[11]

(10) महिला ई–हाट योजना– इस योजना के अन्तर्गत जो महिलाएं अपने हुनर के दम पर खुद का व्यवसाय करने के लिए इच्छा रखती थी एवं अपने पैरो पर खड़ा होना चाहती थी, उन सभी महिलाओं के लिए यह महिला ई हाट योजना भारत सरकार की तरफ से प्रारम्भ किया गया है। इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। इन लाभकारी योजना के माध्यम से व्यापारियों, एंजेसियों एंव सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक प्लेटफार्म इस योजना के माध्यम से प्रदान करने का उद्देश्य जारी किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपना पंजीकरण करके अपने किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट ऑनलाइन रूप में बड़ी ही आसानी से बिना अपने घर से बाहर निकले बेच सकती है।[12]

लाभ – इस योजना के माध्यम से भारत सरकार मेक इन इण्डिया एवं डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत कार्य करके व्यवसाय की इच्छा रखने वाली महिलाओं को ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए व्यवसाय करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। अब सभी महिलाए अपने व्यवसाय को शुरू करके अपने आप को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बना सकेंगी। इस योजना के जरिए महिलाए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे अब अपने को भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकेंगी और खुद को भी आर्थिक स्थिति को बड़ी आसानी से सुधार सकेंगी। अब महिलाओं को अपने हुनर को दिखाने के लिए घरों से बाहर निकलना नहीं

होगा। इस योजना के जरिए अपने हुनर को लोगों के साथ–साथ साझा करके अपना व्यवसाय घर बैठे ही आसानी से शुरू कर सकेंगी। महिलाएं इसका लाभ उठाने के लिए योजना के अन्तर्गत अपना बिना भुगतान कर पंजीकरण करवा सकती है।

पंचायती राज व्यवस्था–स्वतन्त्र भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण वरदान साबित हुआ है। इस व्यवस्था में महिलाएं घूंघट से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा में आयी। इनके अपने बैंक में खाता होने लगे। सरकार द्वारा योजना चलाने की जानकारी होने लगी और इनकी पहचान जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान इत्यादि के रूप में होने लगी। इनसे प्रेरित होकर और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली आज लोकसभा, राज्य सभा, विधान परिषद के साथ–साथ प्रशासनिक एवं राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी इनकी उपस्थिति संतोष जनक है।[13]

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए महात्मां गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना और लघु उद्योग–धंधों में इनकी सहभागिता इनको आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्रों में बेहतर किया है और बहुत से गैर सरकारी संगठन इनके वैवाहिक, शैक्षणिक, लैंगिक समानता, वेश्यावृत्ति, गरीबी, बेकारी इत्यादि समस्याओं को दूर करने का निरन्तर प्रयास कर रही है। यद्यपि इतने प्रयास अभी भी महिलाओं को पुरूषों के बराबरी करवाने में कम है।

तमाम योजनाओं और स्वेच्छा के बल पर महिलाओं ने अभी भी प्रगति नही किया है परन्तु अनेक शोधों से पता चलता है इनके साथ कार्य स्थल पर या यात्रा के दौरान कभी न कभी लैंगिक हिंसा का शिकार बनती है उसके कारण अनेक हो सकते है ऐसे महिलाओं की संख्या अधिकतर है।[14]

आज भारत एवं विश्व स्तर पर महिलाओं की परिस्थितियों का ध्यान में रखकर विकास की संकल्पना तैयार हो रही है और विकसित देशों ने सफलता भी पायी है, भारत जैसे विशाल एवं अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में इस क्षेत्र में काम करना अभी भी बहुत कुछ बाकी है।

सारांश– महिलाओं की सामाजिक ऐतिहासिक अध्ययन से पता चलता है कि अलग–अलग कालखण्ड में और अलग–अलग समाजों में इनकी दशाएं असमान्य रही है। कही तो बहुत अच्छी कही पर निम्न दशा रही है। भारत जैसे देश में इन्होंने देवी से वेश्वावृत्ति तक का सफर तय किया है ब्रिटिश शासन में इनके जीवन को सुधारने हेतु चलाए जा रहे विभिन्न आंदोलन को वैधानिक दर्जा दिया और उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए स्वतन्त्र भारत में विधानों एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया। अधिकांश क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि अब महिलाएँ पहले से बेहतर जागरूक, शिक्षित, नेतृत्वकर्ता, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सफल भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सोमेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2002 पृ.7
2. नारीवाद, सिंह वी०एन०, सिंह जनमेजय पृ0–85–86
3. https://hindi.mapsofindia.com
4. भारत 2011, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग भारत सरकार पृ0–545
5. Socialwelfare.UK.gou.in
6. www.tv9hindi.com 8 feb.2021
7. www.tv9hindi.com 14 March.2021
8. www. strartapopinins.com
9. www. strartapopinins.com
10. https://www.patrik.com 21 july 2021
11. https://businessideashindi.com
12. www. strartapopinins.com
13. भारतीय समाज एस०एल० दोषी और पी०सी० जैन
14. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार निति आयोग रिर्पोट
15. महिला एवं बाल कानून, डॉ0 अंजली कान्त पृ0–24
16. सती (निवारण) अधिनियम 1987 पृ0–41
17. 'वर्स दैन डेथ'' दि पायनियर (लखनऊ) पृ0–6